मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–215/2024

1. सज्जन कुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी 8 एम.जैड.डब्ल्यू. डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भीमसैन पुत्र दलीप जाति जाट निवासी 8 एम.जैड.डब्ल्यू. डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. हरपाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी 8 एम.जैड.डब्ल्यू. डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप पुत्र हरपाल जाति जाट निवासी 8 एम.जैड.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री हरपाल पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मिठनपुरा तहसील व जिला सिरसा।
4. कृष्णा देवी पुत्री हरपाल पत्नी बलवीरसिंह जाति जाट निवासी मिठनपुरा तहसील व जिला सिरसा।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

– –प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री दिनांक :– 12.08.2024

वादी की ओर से श्री महेश गौड अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जीतासिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी ... मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद–पत्र स्वीकार किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(क) वादी सज्जन कुमार को प्राप्त आराजी :— चक नम्बर 11 डी.बी.एल. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 2/29 में अंकित कुल 7.843 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 हरपाल का 1/8 हिस्सा।

(ख) वादी संख्या 2 भीमसैन को प्राप्त आराजी :— प्रतिवादी संख्या 1 हरपाल के नाम की चक नम्बर 9 एम.जेड.डबल्यू. के खाता संख्या 74/37 में कुल 1.262 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 11 डी.बी.एल. के खाता संख्या 2/29 व चक नम्बर 9 एम.जेड.डबल्यू. के खाता संख्या 74/37 में से प्रतिवादी संख्या 1 हरपाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिय स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner